

पी.ई.टी. परीक्षा 2017 : बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) पाठ्यक्रम प्रवेश नियम

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत दो भासकीय कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय तथा वि० वविद्यालय से सम्बद्धता एवं मान्यता प्राप्त दो निजी कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में वर्ष 2017-2018 में स्नातक-स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियम

1. सामान्य

ये नियम पी.ई.टी. परीक्षा प्रवेश नियम – 2017 कहलायेंगे जो छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पत्र क्रमांक बी-दिनांक- 2017 द्वारा जारी किये गये हैं। ये प्रवेश नियम बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लागू होंगे।

2. स्नातक पाठ्यक्रम का नाम, अवधि एवं महाविद्यालय का नाम :-

2.1 पाठ्यक्रम- बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) अवधि 4 वर्ष,

2.1.1 इंदिरा गांधी कृषि वि० वविद्यालय, रायपुर के कान्स्टीट्यूट (शासकीय) महाविद्यालय:-*

| | |
|----|---|
| 1. | बी.आर.एस.एम. कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, मुंगेली |
| 2. | स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर |

2.1.2 इंदिरा गांधी कृषि वि० वविद्यालय, रायपुर से सम्बद्धता एवं मान्यता प्राप्त निजी कृषि महाविद्यालय* :-*

| | |
|----|---|
| 1. | भारतीय कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पदमनाभपुर, पुलगांव बाँय पास रोड, दुर्ग (छत्तीसगढ़) 491001 |
| 2. | छत्तीसगढ़ कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रिसाली (भिलाई) धनोरा रोड, पोस्ट हनौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.) |

* उल्लेखित महाविद्यालयों के लिये भौक्षणिक वर्ष 2017-18 में इंदिरा गांधी कृषि वि० वविद्यालय के प्रबंध मंडल से अनुमोदन/अनुमति उपरान्त सीटों का निर्धारण किया जावेगा।

3. स्नातक पाठ्यक्रम में पी.ई.टी. 2017 के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता निम्नानुसार है :

3.1 भारत का नागरिक हो।

3.2 छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।

3.3 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 की 12वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examination) या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा में 10+2 की 12वीं कक्षा में निम्न विषयों सहित उत्तीर्ण की हो :-

विज्ञान समूह

भौतिक, रसायन, गणित एवं अंग्रेजी विषय

4. इस पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में वे अभ्यर्थी भी सम्मिलित हो सकते हैं, जो इस वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 पद्धति की 12 वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examination) या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा 10+2 की 12वीं कक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं। किन्तु इन छात्रों का उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय अर्हकारी 10+2 वर्ष पद्धति की 12 वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examination) या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा 10+2 की 12वीं कक्षा की मूल अंकसूची प्रस्तुत करेंगे। ऐसे आवेदक जो वर्ष 2017 की मुख्य अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण न होकर बाद की किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, भले ही उन्होंने पी.ई.टी. 2017 की प्रावीण्य सूची में स्थान क्यों न प्राप्त कर लिया हो।

4.1 वर्ष 2017 में आयोजित पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी अयोग्य होंगे भले ही उन्होंने पी.ई.टी. 2017 की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया हो।

4.2 ध्यान रहे कि किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Vocational Course) 10+2 सर्टिफिकेट परीक्षा से उत्तीर्ण अभ्यर्थी बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र नहीं होंगे।

5. इन पाठ्यक्रमों में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी पी.ई.टी. 2017 की मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग द्वारा प्रवेश दिया जावेगा। काउंसिलिंग समिति बिन्दु क्रमांक 3, 4 एवं 6 में उल्लेखित नियमों को प्रवेश के समय पालन सुनिश्चित करेगी।
6. न्यूनतम अंक सीमा :-
प्रवेश हेतु 10+2 की 12वीं कक्षा भौतिक, रसायन, गणित एवं अंग्रेजी विषयों सहित सामान्य वर्ग के छात्रों ने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों में एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर) के छात्रों ने न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों में उत्तीर्ण की हो।

नोट:- न्यूनतम अंक सीमा का ध्यान रखें। उपरोक्त वर्णित विषय के अतिरिक्त कोई भी अन्य समूह के अभ्यर्थी प्रवेश हेतु

7. उपलब्ध सीटों का विवरण :-

बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) पाठ्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कान्स्टीट्यूट महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों पर श्रेणीवार अनारक्षित एवं आरक्षित सीटों का विवरण तालिका 1 पर दर्शाया गया है, जिसमें किसी विद्यमान श्रेणी/वर्ग को जोड़ने अथवा घटाने का अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को होगा एवं इस प्रकार की सूचनायें लोकप्रिय संचार माध्यमों में प्रकाशित की जावेगी।

8. पी.ई.टी. द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि कोई सीट रिक्त रहती है उस पर प्रवेश हेतु निम्न अर्हताधारी उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा जिसके लिये विवेकानंद विश्वविद्यालय द्वारा सभी महाविद्यालयों एवं निजी महाविद्यालयों की रिक्त सीटों की संख्या दर्शाते हुये भरने हेतु अलग से विज्ञापन जारी किया जावेगा। इन सीटों को भरने के लिए निम्नानुसार प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता होगी एवं प्रवेश प्रक्रिया विवेकानंद विश्वविद्यालय स्तर पर काउंसिलिंग द्वारा की जावेगी :-

8.1 स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता निम्नानुसार है :

- 8.1.1 बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 की 12वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examination) या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा में 10+2 की 12वीं कक्षा भौतिक, रसायन, गणित एवं अंग्रेजी विषयों के साथ सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों ने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों में एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़ कर) के छात्रों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों में उत्तीर्ण की हो एवं बिन्दु क्रमांक 3 की पूर्ति करता हो तो प्रवेश हेतु योग्य होगा।
- 8.1.2 वर्ष 2017 की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अयोग्य होगा।
- 8.1.3 किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Vocational Course) 10+2 सर्टिफिकेट परीक्षा से उत्तीर्ण अभ्यर्थी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये पात्र नहीं होंगे।
- 8.1.4 छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़ कर) श्रेणी में केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही पात्र होंगे)।

- 8.1.5 छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवार ना होने की दशा में राज्य के बाहर/अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्रावीण्यता के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवारो हेतु संबंधित राज्य द्वारा आयोजित (बोर्ड) 10+2 की (उपरोक्त वर्णित विषयो के साथ) परीक्षा मान्य होगी। परन्तु उन्हें न्यूनतम अंक सीमा की पूर्ति करना होगा।

नोट:- उपरोक्त वर्णित विषय के अतिरिक्त कोई भी अन्य समूह के अभ्यर्थी प्रवेश हेतु योग्य नहीं हैं। न्यूनतम अंक सीमा

9. सीटों का आरक्षण :-

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कान्स्टीट्यूट बी.आर.एस.एम. कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, मुंगेली एवं स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता एवं मान्यता प्राप्त दो निजी कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में निम्नानुसार सीटों का आरक्षण उपलब्ध होगा।

9.1 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर)

छत्तीसगढ़ राज्य के (मूल निवासी) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर) के पुत्रों/पुत्रियों के लिये क्रमशः 12, 32 एवं 14 प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण होगा। नॉन क्रीमिलियर संबंधी टीप यदि प्रमाण पत्र में उपलब्ध है, तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु टीप ना होने पर आय प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करें।

9.2 ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़ कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन के समान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया **स्थायी जाति प्रमाण** पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर अथवा उसके शाखा अम्बिकापुर/जगदलपुर से निर्देशित किये जाने पर कराया जाना अनिवार्य है। स्थायी जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा (प्रारूप-1 एवं 2)।

9.3 कृषक

सभी आरक्षक श्रेणी में छत्तीसगढ़ में स्थायी कृषि में कार्यरत किसानों जिनकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो, के पुत्र/पुत्रियों के लिये 5 प्रतिशत होरिजान्टल आरक्षण।

सभी आरक्षित श्रेणी में छत्तीसगढ़ में स्थायी कृषि में कार्यरत किसानों जिनकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो, के पुत्र/पुत्रियों के लिए 5 प्रतिशत होरिजान्टल आरक्षण लागू होगा लेकिन यदि अभ्यर्थी आवेदन फार्म में कृषक वर्ग हेतु आवेदन करता है और वह मैरिट में आता है लेकिन किन्ही कारणों से वह निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र नहीं लाता है तो उसे कृषक वर्ग में प्रवेश का लाभ नहीं दिया जा सकता है। तथापि उसकी मैरिट, जिस वर्ग/संवर्ग का वह अभ्यर्थी है, उसमें मान्य होगी एवं उसे सीट उपलब्ध होने पर प्रवेश लेने की पात्रता होगी। **अभ्यर्थी इस वर्ग में उपलब्ध सीटों की संख्या (तालिका-1 सीटों का विवरण) देखकर ही उस वर्ग के विकल्प को चुने।**

टिप्पणी :-

(क) इस वर्ग के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ कृषकों के उन पुत्र/पुत्रियों को प्राप्त होगा, जिन्होंने प्राथमिक (पांचवी) माध्यमिक (कक्षा आठवी) मैट्रिक/हाई स्कूल (कक्षा दसवी) तथा उच्चतर माध्यमिक (कक्षा बारहवी) में से कोई दो परीक्षाएँ ग्रामीण क्षेत्र की शाला से नियमित छात्र के रूप में उत्तीर्ण की हो। यह नियम स्वाध्यायी छात्रों के लिए भी समान रूप से लागू होगा।

(ख) शाला का ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत होना प्रमाणित करने के लिए तहसीलदार अथवा विकासखण्ड अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य होगा (प्रारूप-3)।

9.4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

सभी श्रेणी के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों /पौत्र पौत्रियों के लिए 03 प्रतिशत होरिजान्टल आरक्षण उपलब्ध होगा जिसके लिये छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी ही पात्रता रखते हैं और जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पंजी/सूची में दर्ज है। इसी अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक उनकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्य प्रदेश के किसी भी जिले की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में हो, तो इन्हे भी आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। स्पष्टता उन्ही विद्यार्थियों को प्रवेश उपलब्ध होगा जिनके पिता/माता/दादा/दादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेष्टा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (प्रारूप-4)।

9.5 महिला

सभी श्रेणी के अंतर्गत (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी) महिला उम्मीदवारों के लिये 30 प्रतिशत होरिजान्टल आरक्षण उपलब्ध होगा।

9.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापित वर्ग:-

जम्मू कश्मीर के ऐसे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ में दिनांक 01-01-2017 अथवा उसके पूर्व की किसी तिथि से निवास कर रहे हैं, के पुत्र/पुत्रियों के लिये बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में वर्तमान प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त एक सीट आरक्षित है। इस वर्ग के प्रत्याशियों की छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा पृथक से मैरिट सूची तैयार की जावेगी। इस वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप-5)

इस वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को जिनकी पदस्थापना जम्मू कश्मीर राज्य आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण के लिये की गई हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, भी प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों के निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप-6)

9.7 विकलांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

ऐसे उम्मीदवार जो विकलांग हो, उनके लिये संस्थाओं की प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त सीटों का आरक्षण शासन के नियमानुसार होगा। (जो तालिका 1 में दर्शाया है)

इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को जिला चिकित्सा मंडल तथा अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र (Superintendent Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9.8 इंदिरा गांधी कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित प्रत्येक महाविद्यालयों में विज्ञान पेश पिछड़ी अनुसूचित जनजाति- अबुझमाड़िया, कमार, पहाड़ीकोरबा, बिरहोर, बैगा के लिये 2 अतिरिक्त सीटों का प्रावधान है। इस वर्ग के छात्रों को भी पी.ई.टी. वर्ष 2017 की परीक्षा में बैठना होगा। परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर ही प्रवेश दिया जावेगा परन्तु यदि पी.ई.टी. 2017 में कोई योग्य प्रवेशार्थी नहीं मिलनेकी अवस्था में 10+2 (12वीं) की मेरिट अंको के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। (जो तालिका 1 में दर्शाया है)

9.9 इंदिरा गांधी कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कान्स्टीट्यूट कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में नक्सली हिंसा से दिवंगत व्यक्ति के आश्रित पुत्र/पुत्रियों के लिये 1 अतिरिक्त सीटों का प्रावधान है। (जो तालिका 1 में दर्शाया है)

(i) इस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी पी.ई.टी. की प्रवेशार्थीता में उल्लेखित न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता आवश्यक होगी। अर्थात् पाठ्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थी के लिए पी.ई.टी. प्रावीण्यता प्रवेशार्थीता हेतु आवश्यक होगी। इस वर्ग के छात्रों को भी पी.ई.टी. वर्ष 2017 की परीक्षा में बैठना होगा तथा परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर ही प्रवेश दिया जावेगा परन्तु यदि पी.ई.टी. 2017 में कोई योग्य प्रवेशार्थी नहीं मिलने की अवस्था में 10+2 (12वीं) की मेरिट अंको के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। (जो तालिका 1 में दर्शाया है)

(ii) इस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे जिला स्तरीय जिलाध्यक्ष/पुलिस अधिकारी से इस आश्रितता का प्रमाण पत्र लावेंगे कि वे नक्सली हिंसा से दिवंगत व्यक्ति के आश्रित पुत्र/पुत्री हैं। (प्रारूप पत्र 7)

10. विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में प्रबंधन कोटे की सीटों पर प्रवेश -

- 10.1 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों के बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) पाठ्यक्रम में अधिकतम 15 प्रतिशत सीटें प्रबंधन कोटा के उम्मीदवारों हेतु आरक्षित रहेगी।
- 10.2 प्रबंधन कोटा में संस्था द्वारा अनुशासित अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता/पात्रता के सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति के समक्ष विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना होगा।
- 10.3 निजी महाविद्यालयों द्वारा प्रबंधन कोटे में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों की सूची काउंसिलिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रबंधन कोटे की अनुशासित सूची में यदि अभ्यर्थी बिन्दु क्रमांक 3, 4, 5, एवं 6 की पूर्ति करता है तो उसे सर्वप्रथम प्रबंधन कोटे की प्रथम सीट पर प्रवेश दिया

जावेगा। प्रबंधन कोटे की अनुशंसित सूची में यदि अभ्यर्थी बिन्दु क्रमांक 8.1.1, 8.1.2 एवं 8.1.3 की पूर्ति करता है एवं छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो उसे द्वितीय क्रम 12वीं की प्रावीण्यता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। प्रबंधन कोटे की अनुशंसित सूची में यदि अभ्यर्थी अन्य प्रदेश का है तो उसे बिन्दु क्रमांक 8.1.1, 8.1.2 एवं 8.1.3 की पूर्ति करना आवश्यक होगा एवं उसे बारहवीं की प्रावीण्यता के आधार पर तृतीय क्रम में प्रवेश दिया जावेगा। किसी भी स्थिति में वर्ष 2017 की पूरक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

10.4 प्रबंधन कोटे की सीटों पर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होगा।

नोट:- उपरोक्त वर्णित विषय के अतिरिक्त कोई भी अन्य समूह के अभ्यर्थी प्रवेश हेतु योग्य नहीं हैं। न्यूनतम अंक सीमा

11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश

इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कान्स्टीट्यूट महाविद्यालयों में 15 प्रतिशत स्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा 2017 में चयनित उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। ये सीटें केवल विश्वविद्यालय के कान्स्टीट्यूट महाविद्यालयों में उपलब्ध होगी।

12. आरक्षित स्थानों पर प्रतिशत निकालते समय दशमिक अंक 0.5 या उससे अधिक होने पर एक तथा 0.5 से कम होने पर शून्य माना जावेगा।
13. आवेदक को उसी श्रेणी के अंतर्गत केवल एक वर्ग में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

14. रिक्त सीटों पर प्रवेश

आरक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध न होने पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी में बिना वर्ग में भी प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में उनके रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।

“अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर) के उम्मीदवारों से भरा जावेगा। जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तब रिक्त स्थान सामान्य श्रेणी के बिना वर्ग के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे।”

15. जिस श्रेणी/वर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप अथवा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
16. उम्मीदवार द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

17. भाररिक्त योग्यता :-

(अ) आयु सीमा : प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु दिनांक 31 अगस्त 2017 को 16 वर्ष की हो। उल्लेखित दिनांक अर्थात् 31 अगस्त 2017 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 16 वर्ष से कम होने पर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।

(ब) स्वास्थ्य अर्हता : चयनित परीक्षार्थियों को प्रवेश के समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र न्यूनतम सहायक शल्य चिकित्सक/सहायक भेषज स्तर के अधिकारी या कृषि विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी का मान्य होगा।

18. प्रावीण्य सूची घोषित करने की विधि :-

प्रवेश के लिए प्रत्याशियों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। व्यावसायिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में परीक्षार्थी के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार/वर्गवार प्रावीण्य सूची इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पृथक से बनाई जावेगी तथा इन प्रावीण्य सूचियों की प्रति व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जावेगी।

- 18.1 आरक्षित श्रेणी के उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक सामान्य श्रेणी के सफल अंतिम प्रत्याशी से अधिक हो उनकी गणना सामान्य श्रेणी में की जाकर उन्हें सामान्य श्रेणी में प्रवेश दिया जायेगा व

- उतनी संख्या में सामान्य श्रेणी के अंतिम प्रवेशित प्रत्याशियों को मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जाएगा, **परन्तु यह विभिन्न श्रेणियों में हॉरिजोन्टल आरक्षण के अंतर्गत वर्गों में लागू नहीं होगा।**
- 18.2** आरक्षित श्रेणी/वर्ग के जिन प्रात्याशियों को सामान्य निल श्रेणी में प्रवेश प्राप्त हो रहा है, उन्हें भी निर्धारित प्रपत्र में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 18.3** यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के निल पुरुषों से की जायेगी।
- 19. पी.ई.टी. 2017 में समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :**
समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर निर्धारित की जायेगी। इस हेतु **पी.ई.टी 2017** के पाठ्यक्रमों के लिये विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार मानकर निश्चित की जायेगी :-
1. गणित 2. भौतिकी 3. रसायन
उक्त तीनों विषयों में भी समान अंक प्राप्त उम्मीदवारों में प्राथमिकता अधिक उम्र वाले विद्यार्थी को दी जायेगी। यदि उपरोक्त के अनुसार उम्र भी समान होगी तब 12वीं के कुल प्राप्तांकों के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।
- 20. प्रवेश] हेतु अंतिम तिथि का निर्धारण**
महाविद्यालय में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक ही किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त स्थान रिक्त रहने पर उन्हें नियमानुसार भरने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा क्योंकि विश्वविद्यालय में सेमेस्टर पद्धति से पढ़ाई होती है।
- 21. प्रमाण पत्रों का प्रवेश] के समय प्रस्तुतीकरण**
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा जारी पी.ई.टी. 2017 मेरिट सूचियों के आधार पर विश्वविद्यालय स्तर पर काऊंसलिंग के माध्यम से आवेदकों को अस्थायी प्रवेश प्रदान किया जावेगा। प्रवेश के लिए आवेदक को पाठ्यक्रम से संबंधित प्रवेश नियमों में उल्लेखित योग्यता/ अर्हता/ शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्रों में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु आवश्यक मूल प्रमाण पत्र काऊंसलिंग के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने होंगे। **पी.ई.टी. 2017 की अंकसूची, 10वीं की अंकसूची, 12वीं की अंकसूची, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं सत्यापित जाति प्रमाण पत्र।** प्रमाण पत्रों के निर्धारित प्रारूप इस नियम पुस्तिका में दिये गये हैं।
- 22. मूल निवासी की शर्तें**
1. जो भारत का नागरिक हो।
2. (क) जिसने वर्ष 2017 तक के पांच वर्षों के अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। **(प्रारूप-8)**
अथवा
(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो।
अथवा
(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र /पुत्री हो :
(1) छत्तीसगढ़ शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी **(प्रारूप-7)**
अथवा
(2) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन) तथा रेल्वे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं। अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 01 जनवरी 2001 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ हो। **(प्रारूप-8)**

स्पष्टीकरण- 1 (छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी)

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किये गये निर्देश लागू होंगे।

टिप्पणी : छत्तीसगढ़ का मूल निवासी संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिये। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की गोल सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण –2 (अभिभावक)

किसी भी उम्मीदवार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-3 (दत्तक पुत्र/पुत्री)

यदि कोई आवेदक सामान्य अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस-सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में जो आवश्यक होगा की ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हो। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हो तथा किन्ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।

23. यदि महाविद्यालय / संबद्धता एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय किसी ऐसे अभ्यार्थी का चयन कर लेते हैं/ प्रवेश दे देते हैं जो विद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम पात्रता/ अर्हता नहीं रखता है उन्हें विद्यालय द्वारा प्रवेश नहीं दिया जावेगा/जानकारी होने पर विद्यालय द्वारा कभी भी निश्कासित कर दिया जावेगा और इस हेतु अभ्यार्थी स्वयं/ महाविद्यालय/संबद्धता एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय उत्तरदायी होंगे।

24. प्रवेश निरस्तीकरण :-

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा झूठी/गलत जानकारी के आधार पर अथवा कुछ तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात् कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।

प्रवेश नियमों से संबंधित सभी नीति विषयक प्रश्नों के निपटाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग सर्वोच्च निर्णायक होगा यदि प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण/व्याख्या से संबंधी कोई विवाद खड़ा होता है तो उसे निर्णय हेतु छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को भेजा जाना चाहिए। प्रवेश नियमों में किसी प्रकार के संशोधन का अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को होगा।

स्नातक पाठ्यक्रम भौक्षणिक सत्र 2017-2018 में भासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में तालिका ए एवं बी में वर्णित वर्गीकरण के अनुसार सीटों की संख्या निम्नानुसार होगी –

(A)

Number of seats in Government Agricultural Engineering Colleges of IGKV Raipur for B.Tech.(Agril. Engg.) programme Session 2017-2018

| Name of College | OC | | | | SC (12%) | | | | ST(32%) | | | | OBC(14%) | | | | Total | | | | Spl. Seats | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-------------|-------------|
| | X | F | FF | Total | X | F | K | FF | Total | X | F | K | FF | Total | X | F | K | FF | Total | X | F | K | FF | Total | Ph | Spl. Tribes | Naxal Afft. |
| BRSM CoAET, Mungeli | 20 | 10 | 01 | 31 | 05 | 03 | 01 | 0 | 09 | 14 | 08 | 01 | 01 | 24 | 08 | 02 | 01 | 0 | 11 | 47 | 23 | 03 | 02 | 75 | 3 | 2 | 1 |
| SV CoAET, Raipur | 16 | 08 | 01 | 25 | 04 | 02 | 01 | 0 | 07 | 12 | 06 | 01 | 0 | 19 | 06 | 02 | 01 | 0 | 09 | 38 | 18 | 03 | 01 | 60 | 2 | 2 | 1 |
| Total | 36 | 18 | 02 | 56 | 09 | 05 | 02 | 0 | 16 | 26 | 14 | 02 | 01 | 43 | 14 | 04 | 02 | 0 | 20 | 85 | 41 | 06 | 03 | 135 | 5 | 4 | 2 |
| Grand Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 146 | | | |

वर्ग F= महिला, K=कृषक, FF= स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, X=इन तीनों में से कोई नहीं अर्थात् बिना वर्ग (Ph=विकलांग) ,

(B)

Number of seats in Private Agricultural Engineering Colleges of IGKV Raipur for B.Tech.(Agril. Engg.) programme Session 2017-2018

| Name of College | OC | | | | SC (12%) | | | | ST(32%) | | | | OBC(14%) | | | | Total | | | | Spl. Seats | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------|--------------|
| | X | F | FF | Total | X | F | K | FF | Total | X | F | K | FF | Total | X | F | K | FF | Total | X | F | K | FF | Total | Ph | Spl. Tribes | Manag. Seats |
| Bharati CoAE, Durg | 11 | 05 | 01 | 17 | 03 | 02 | 0 | 0 | 05 | 08 | 04 | 01 | 0 | 13 | 04 | 02 | 0 | 0 | 06 | 26 | 13 | 01 | 01 | 41 | 2 | 2 | 7 |
| Chhattisgarh CoAE, Bhilai | 11 | 05 | 01 | 17 | 03 | 02 | 0 | 0 | 05 | 08 | 04 | 01 | 0 | 13 | 04 | 02 | 0 | 0 | 06 | 26 | 13 | 01 | 01 | 41 | 2 | 2 | 7 |
| Total | 22 | 10 | 2 | 34 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 16 | 8 | 2 | 0 | 26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 52 | 26 | 2 | 2 | 82 | 4 | 4 | 14 |
| Grand Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104 | | | |

वर्ग F= महिला, K=कृषक, FF= स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, X=इन तीनों में से कोई नहीं अर्थात् बिना वर्ग (Ph=विकलांग) ,

बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) पाठ्यक्रम एवं सम्बद्धता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु सीटों के संबंध में :- वर्ष 2017-18 में स्नातक स्तर पर सम्बद्धता एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में प्रवेश तथा सीटों की संख्या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल के अनुमोदन/अनुमति अनुसार निर्धारण किया जावेगा। तथा प्रवेश आरक्षण शासन के नियमानुसार होगा। वर्तमान में प्रबंध कोटा सहित (41+7) 48 सीटें हैं।

नोट :- रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों में रैगिंग निषेध है।

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

(इंदिरा गांधी कृषि वि० विद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवे० हेतु प्रारूप)

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

(नियम 2.5.1)

अनुभाग.....जिला.....छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....पिता/पति का नाम.....निवासी ग्राम/नगर.....पटवारी हल्का नं.....वि.खं.....तहसील.....जिला.....संभाग.....जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यहजाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित है अतः श्री/सुश्री.....पिता/पति का नाम.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये.....है।

दिनांक-

हस्ताक्षर

प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम

पदनाम एवं सील

टिप्पणी

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी उप संभागीय मजिस्ट्रेट/ सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।
यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये न कि अभ्यर्थी के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप-2

**छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र**
(नियम 2.5.1)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग..... जिला..... छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक..... प्रमाण पत्र क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....आत्मज श्री.....निवासी ग्राम.....जिला संभाग..... छत्तीसगढ़ के निवासी है, जोजाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा-वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांकएफ 8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है।

श्रीऔर/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला.....संभाग.....में निवास करता हैं व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक.....को प्रवजन कर चुका है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्रीकीमी लेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक 360/2122/93/स्था. (एस. सी. टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची में कालम -3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्रीके परिवार की कुल वार्षिक आय रूपयेहै।

दिनांक.....

स्थान :

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप-3

कार्यालय तहसीलदार अथवा विकास खण्ड अधिकारी

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता का नाम).

..... निवासी.....जिला.....

में (5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं.) दो परीक्षा विद्यालय

..... से उत्तीर्ण की है एवं यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है ।

यह प्रमाण पत्र शाला के ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत होना प्रमाणित करता है ।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

तहसीलदार

एवं विकास खण्ड अधिकारी

(इंदिरा गांधी कृषि वि० वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवे० । हेतु प्रारूप)

प्रारूप-4

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

(इंदिरा गांधी कृषि वि० वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवे० । हेतु प्रारूप)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीसुश्री(अभ्यर्थी का नाम)श्री /सुश्री..
.....(अभ्यर्थी पिता/माता का नाम) के/की वैद्य संतान है। जो श्री/सुश्री.....
.....,(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की/ वैद्य संतान ह। श्री/सुश्री.....
(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला.....के कलेक्टर कार्यालय
में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमांक.....पर पंजीकृत है।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत
डिप्टी कलेक्टर से
अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी पदनाम एवं सील

(इंदिरा गांधी कृषि वि० वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-5

जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.3)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री(अभ्यर्थी का नाम) जो प्रथम वर्ष.....में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री /सुश्री.....
(अभ्यर्थी पिता/माता का नाम) की संतान है। जो जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित है।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अधिकारी पदनाम एवं सील

(इंदिरा गांधी कृषि वि० वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवे० I हेतु प्रारूप)

प्रारूप-6

छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं का० मीर राज्यों में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र

(नियम 2.5.3)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम) जो प्रथम वर्षमें जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थियों की स्थानों के विरुद्ध प्रवेश का अभ्यर्थी है, के पिता/माता श्री/सुश्री..... छत्तीसगढ़ के कार्मिक है, जम्मू एवं काश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु पदस्थ है जिनकी पदस्थापना दिनांक.....से दिनांक.....तक (सीन का नाम) जिला.....में रही है।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

शासन के विभागाध्यक्ष अधिकारी का नाम

हस्ताक्षर, पद एवं विभाग का नाम

(इंदिरा गांधी कृषि विविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-7

नक्सली हिंसा से दिवंगत व्यक्ति के पुत्र/पुत्रियों का प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम)
श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी पिता/माता का नाम) के/की संतान है। जो
नक्सली हिंसा से दिवंगत व्यक्ति के आश्रित पुत्र/पुत्री है। उन्हे यह प्रमाण पत्र इंदिरा गांधी कृषि
विश्वविद्यालय, रायपुर के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने प्रदाय किया जाता है ।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कलेक्टर अथवा अधीक्षक पुलिस कार्यालय

प्रारूप-8

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्रीआत्मज/ आत्मजा/
पत्नी निवासी तहसील व जिला.....
.....छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है,
क्योंकि वह-

1/- निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :-

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।
2. (क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालको में से कोई-

अथवा

(ग) उसके पालको में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैद्य अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है।

3. उसके पालको में से कोई-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय कर्मचारी का सेवारत है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालको राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय रखते है।

परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है ।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की हो,

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हो अर्थात:-

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक या 8वीं कक्षा की परीक्षा।

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडियेट, हायर सेण्टरियरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो 8वीं कक्षा की परीक्षा।

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा,

2/- उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे -

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ग) छत्तीसगढ़ में सवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे -

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....
(पद नाम एवं सील)